राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2025

दायरा तिथि : 20/01/2025

निर्णय :– 05-3-2025

गोदावरी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ति

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :– दिनांक 20/01/2025 को वादीनी गोदावरी पत्नी भंवरा राम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दूंकर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता नम्बर नया 82, पुराना 71, खसरा संख्या 614/502 तादादी 2.2384 हेक्टेयर में वादीनी का नाम गोदावरीदेवी पत्नी भंवरलाल दर्ज है वह गलत है, जबकि वादीनी का सही नाम गोदावरी पत्नी भंवरा राम है। अतः सही नाम गोदावरीदेवी पत्नी भंवरलाल की बजाए गोदावरी पत्नी भंवरा राम किया जावे।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादीनी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है। वादीनी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना आधार कार्ड नं. , पहचान–पत्र भारत निर्वाचन आयोग, जन आधार कार्ड, अपना परिवार राशन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में गोदावरीदेवी पत्नी भंवरलाल की बजाय गोदावरी पत्नी भंवरा राम अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू के खाता नम्बर नया 82, पुराना 71, खसरा संख्या 614/502 तादादी 2.2384 हेक्टेयर में अंकित खातेदार गोदावरीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी दूंकर की बजाय गोदावरी पत्नी भंवरा राम जाति जाट निवासी दूंकर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर